प्रेस नोट दिनांक 19.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: थाना पट्टी पुलिस द्वारा वाहन चोरी के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा चोरी से संबंधित 01 अभियुक्त अर्श तिवारी को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ढकवा तिराहा कस्बा पट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया, 01 अदद मोटर साइकिल स्पेलन्डर प्लस बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रशान्त कटियार मय हमराह उ0नि0 अमित कुमार चौहान, रि0का0 अरविन्द खरवार, रि0का0 अभिषेक यादव व रि0का0 रोहित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन की चेकिंग के दौरान, थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ढकवा तिराहा कस्बा पट्टी के पास से 01 अभियुक्त अर्श तिवारी पुत्र राकेश तिवारी निवासी ग्राम अकारीपुर तिवरान थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल स्पेलन्डर प्लस के साथ गिरफ्तार किया गया है।

स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त अर्श तिवारी के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल स्पेलन्डर प्लस बरामद की गई, जिसके संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 265/26 धारा 318 (4)/317(2) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि यह गाड़ी चोरी की है, जिसे मैने और अतुल त्रिपाठी निवासी ग्राम करनपुर खुझी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ने मिलकर सुल्तानपुर से एक बैक के बाहर से चोरी किया था, तब से हम लोग नम्बर प्लेट बदलकर बारी बारी चला रहे थे, तभी मैं डर कर भाग रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त से पूछचाछ एवं जांच करने से ज्ञात हुआ कि उक्त मोटर साइकिल मार्च 2025 में सुल्तानपुर से बैक आफ इण्डिया के सामने से चोरी हो गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर, जनपद सुल्तानपुर में दिनांक 07.03.2025 को मु0अ0सं0 159/2025 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात में पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अर्श तिवारी पुत्र राकेश तिवारी निवासी ग्राम अकारीपुर तिवरान थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 प्रशान्त कटियार मय हमराह उ0नि0 अमित कुमार चौहान, रि0का0 अरविन्द खरवार, रि0का0 अभिषेक यादव व रि0का0 रोहित कुमार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

मा0 मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी एवं अमर्यादित भाषा के प्रयोग के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध अभद्र भाषा और अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में, थाना उदयपुर पुलिस ने मा0 मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का विवरण:
दिनांक 17 जून, 2026 को एक व्यक्ति द्वारा मा0 मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध अत्यंत अभद्र और गाली-गलौज वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। उक्त प्रकरण संज्ञान में आते ही प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया। जांच के उपरांत, थाना उदयपुर क्षेत्र के ग्राम पूरे विजयी मजरे राजापुर निवासी अशोक मिश्रा उर्फ पूत्तन मिश्रा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस की कार्यवाही:-
उक्त मामले में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/2026, धारा 352/351(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त अशोक मिश्रा उर्फ पूत्तन मिश्रा पुत्र देवनारायण मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

01. अशोक मिश्रा उर्फ पूत्तन मिश्रा पुत्र देवनारायण मिश्रा निवासी ग्राम पूरे विजयी मजरे राजापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

नोट- प्रतापगढ़ पुलिस स्पष्ट करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुँचाना या लोक शांति भंग करने का प्रयास करना गंभीर अपराध है। ऐसे कृत्यों के प्रति पुलिस का रुख अत्यंत कठोर है और भविष्य में भी किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक एवं भड़काऊ पोस्ट पर त्वरित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

आमजन से अपील की जाती है कि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय संयम बरतें और किसी भी प्रकार की अभद्र, भ्रामक या आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचें। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ सामग्री पाए जाने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी, छेड़छाड़ एवं धमकी देने के प्रकरण में 03 अभियुक्त गिरफ्तार, प्रतापगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही-

जनपद प्रतापगढ़ में महिला सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध जनपद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए छेड़छाड़ व धमकी देने के एक गंभीर मामले में 03 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस की इस तत्परता ने क्षेत्र में अपराधियों के विरुद्ध कड़ा संदेश दिया है।

घटना का विवरण:
थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भगवा के निवासी एक वादी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, कुछ व्यक्तियों द्वारा वादी की पुत्री एवं परिजनों के साथ अभद्र टिप्पणी की गई, छेड़छाड़ किया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं 74, 75, 351(2), 352 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया।

पुलिस की कार्यवाही:-
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित जांच की गई और दबिश देकर घटना में संलिप्त निम्नलिखित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया:-
01. रुबान पुत्र शाकिर, निवासी ग्राम भगवा, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
02. आदिल पुत्र मंसूर अहमद, निवासी ग्राम भगवा, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
03. मो0 शाहबाज़ पुत्र जन्नु हसन, निवासी ग्राम भगवा, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

नोट-
प्रतापगढ़ पुलिस महिला संबंधी अपराधों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहिष्णुता) की नीति अपना रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रतापगढ़ पुलिस आमजन को आश्वस्त करती है कि महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत डायल 112 या स्थानीय थाना पुलिस को दें। अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।